

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH NEW DELHI****ORIGINAL APPLICATION NO. 287/2022****IN THE MATTER OF:**

AMIT KISHORE & ORS

...APPLICANTS

VERSUS

UTTAR PRADESH STATE POLLUTION

CONTROL BOARD & ORS

...RESPONDENTS

LIST OF DOCUMENTS

Serial No.	Document	Document No.	Page No.
1.	Copy of Photographs, newspaper cutting of the location in dispute	Document - 1	1 – 10
2.	Copy of handover documents dated 30.10.2022 by Awas Vikas Parishad to Ghaziabad Municipal Corporation	Document -2	11 – 13
3.	Copy of photographs and newspaper publications showing uprooting of trees and encroachment	Document -3	14 – 18
4.	Copy of letters and correspondence between Applicants and the Respondents/concerned authorities and amongst the Respondents/concerned authorities.	Document -4	19 – 42
5.	Copy of RTI application number 1567/M-37/147 filed with Respondent No. 3 dated 28.06.2023 filed by Mr. Parvesh Arora along with its reply dated 25.07.2023 by Public	Document -5	43 – 68

	Information Officer and photographs of measurement book		
6.	Copy of RTI application no. 5609/DUDA Public Information/ 2023 before DUDA dated 02.06.2023 filed by Girish Kumar Sharma along its reply 27.07.2023 by Public Information Officer, DUDA, Ghaziabad and annexed documents.	Document -6	69 – 76
7.	Copy of RTI application dated 02.06.2023 filed with the executive engineer of Respondent no. 2 filed by Mr Girish Kumar Sharma along with first Appeal dated 27.07.2023 by Mr. Girish Sharma	Document -7	77 - 78
8.	Copy of News Paper cutting showing seeking of penalty for not providing information	Document -8	79
9.	Copy of Handover Zonal Plan Vasundhara, Ghaziabad	Document – 9	80




APPLICANT

THROUGH

MAYANK ARORA/ ADITYA NARAYAN
SHUKLA/ ABHINAV AGRAWAL/
D-146, LGF, Defence Colony, New Delhi-24
| 954, JMD Megapolis, Sohna Rd, Sector 48,
Gurugram, Haryana – 122018
Contact – contact@advocatemayank.in

Date: 15.07.2024**Place: New Delhi**

Document - 1

1



Image 9: The adjacent Green Belt Area in Sector 17 Vasundhara. It clearly shows the status of green belt and trees planted by Awas Vikas and Nagar Nigam.



Image 10: Nagar Nigam's board showing Tree Plantation In 2012-2013 in the adjacent Green Belt Area in Sector 17 Vasundhara, Ghaziabad.



TRUE COPY



Image 11: Nagar Nigam's Another board showing Tree Plantation in 2012-2013 in the adjacent Green Belt Area in Sector 17 Vasundhara, Ghaziabad.



Image 12: The adjacent green belt in Sector 17, Vasundhara, Ghaziabad showing the wire fencing, trees and greenery.



Image 13: The adjacent green belt in Sector 17, Vasundhara, Ghaziabad showing the fencing, trees and greenery.




Image 14: The adjacent green belt area in Sector 15 showing trees and green belt.




Image 15: Continued encroachment in the Green Belt of Sector 15, Vasundhara, Ghaziabad..



Image 16: Green Belt in Sector 14, Vasundhara Ghaziabad.

 TRUE COPY



Image 17: The greenbelt in Sector 10, Vasundhara, Ghaziabad.



Image 18: Green Belt and Land Patch in Sector 14 Vasundhara, Ghaziabad.

 TRUE COPY

नगर निगम पर वेडिंग जोन बनाने के लिए पेड़ उखाड़ने का आरोप

जगरण संवाददाता, वसुंधरा : सेक्टर-15 की ग्रीन बेल्ट में वेडिंग जोन बनाने के लिए नगर निगम पर पेड़ उखाड़ने का आरोप है। पेड़ उखाड़ने की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच किया।

स्थानीय निवासी अमित किशोर व गिरीश शर्मा ने बताया कि सेक्टर-15 वसुंधरा के ग्रीन बेल्ट पर नगर निगम वेडिंग जोन बनाने के लिए पांच पेड़ों की जड़ में गड्ढे कर दिए हैं, जबकि एक पेड़ को रात में जड़ सहित बुलडोजर से गिरा दिया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने जिला वन अधिकारी को इसकी सूचना दी। वन विभाग के इंस्पेक्टर रामवीर ने पेड़ की जांच पड़ताल कर उसकी वीडियो बनाई। इस संबंध में उन्होंने आवास विकास परिषद के अधिकारियों को भी पत्र लिखा है। वहीं, ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण होने के विरोध में आरहब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी है।

Dainik Jagran



दैनिक जागरण नई दिल्ली, 13 नवंबर, 2021

सिटी हलचल.....

ग्रीन बेल्ट उजाड़ने के विरोध में डीएम को झापन



ग्रीन बेल्ट उजाड़ने पर जिलाधिकारी को झापन देते लोग • सी. स्वयं

जासे, साहिबाबाद: नगर निगम की ओर से वसुधरा सेक्टर 15 में मुख्य मार्ग के किनारे वैंडिंग जॉन बनाया गया है, जिसमें लोहे के 32 खोखे रखे गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्रीन बेल्ट उजाड़ कर यह वैंडिंग जॉन बनाया जा रहा है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को झापन दिया। स्थानीय निर्वासी संदीप गुप्ता का कहना है कि ग्रीन बेल्ट उजाड़ कर वैंडिंग जॉन बनाने की शिकायत मुख्यमंत्री की जन सुनवाई पोर्टल पर भी की गई है। शुक्रवार को

जिलाधिकारी को झापन देने के साथ प्रदर्शन भी किया गया। नगर निगम ने वर्ष 2018 में वसुधरा सेक्टर - 12 व 14 में वैंडिंग जॉन बनाने के लिए जमीन चिन्हित की थी लेकिन वैंडिंग जॉन वसुधरा सेक्टर - 15 में बना दिया गया। लोगों का कहना है कि अगर ग्रीन बेल्ट को पुनर्स्थापित नहीं किया जाता तो लखनऊ में आवास अयोग से मुलाकात कर निगम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इस दौरान गिरीश शर्मा, संदीप गुप्ता, इमरान, प्रशांत, ऋषि देव, संजैल और नरगिस मौजूद रहे।

शुक्रवार को चाय वितरित किया गया



TRUE COPY

वसुंधरा में ग्रीनबेल्ट उजाड़कर रखे गए खोखे पर जांच का दिया आदेश

एसडीएम सदर ने मामले को लिया संज्ञान, RWA कर रही थी शिकायत

■ एनबीटी न्यूज, वसुंधरा

सेक्टर 15 स्थित ग्रीनबेल्ट को उजाड़कर और वहां बने शौचालय को तोड़कर वेंडिंग जोन बनाने और लोहे के खोखे स्थापित किए जाने के मामले पर एसडीएम सदर ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली वसुंधरा की संस्थाएं और आसपास की आरडब्ल्यू इस कार्य से नाराज थे। लोगों ने ग्रीनबेल्ट को उजाड़कर इस पर वेंडिंग जोन बनाने जाने का विरोध भी किया था, नहीं बनने पर आवास विकास कार्यालय का घेराव कर धरना-प्रदर्शन भी किया था। पट्टाण कंट्रोल बोर्ड से लेकर नगर निगम और डूडा तक इसको रोके जाने की मांग की थी लेकिन काम नहीं रुका और वेंडिंग जोन की स्थापना कर दी गई।

झौत बना रहा वेंडिंग जोन, न डूडा को पता न ही नगर निगम को : ग्रीन बेल्ट उजाड़ कर उस पर अतिक्रमण कर लोहे के खोखे रखे जाने के बाद भी स्थानीय लोगों इसे पुनः स्थापित करने की मांग करते रहे, जिसके चलते निवासियों ने 12 नवंबर और 22 नवंबर को मुख्यमंत्री जनसुनवाई



ग्रीनबेल्ट को उजाड़ने को लेकर जांच की मांग

इस इस मामले में शिकायत करते हुए स्थानीय लोग मिले थे। चूंकि मामला नगर निगम और डूडा से जुड़ा हुआ है, इसलिए संयुक्त जांच के आदेश दिए गए हैं।

- विनय सिंह, एसडीएम सदर

पेंटल पर शिकायत कर इसकी जानकारी मंगी थी। जिस पर आख्या देते हुए नगर निगम और डूडा विभाग ने अपने हाथ खड़े

कर दिए और सफ और कार्य की जानकारी न इले हुए एक दूसरे को जिम्मेदार बताने लगे। जिसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल 27 दिसंबर को जिलाधिकारी के पास मिलने गया। लेकिन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में एसडीएम सदर विनय सिंह को मामले की पूरी जानकारी दी। जिसके बाद एसडीएम सदर ने जांच के आदेश दिए हैं। दिए गए आदेश में डूडा विभाग के पीओ और अपर नगर आयुक्त को संयुक्त तौर पर जांच कराने के बाद स्थापित करने के लिए बोला गया है।



TRUE COPY



☎ फोन : कायदा : 0120-4882201
फैक्स : 0120-4883263

कार्यालय अधीनस्थ अभियन्ता, सप्तम बृत्त

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

समुदाय कर्मचारी, गाजियाबाद।

पत्रांक 2831

1/A-14/31

दिनांक 30-10-2002

श्रीवा में,
आवास आयुक्त, (स०),
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
904 महतमा गांधी मार्ग,
सह्याजक।

विषय- सामान्य योजना गाजियाबाद की जन-संघर्ष नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तगत किये जाने की सूचना में।

उपरोक्त विषयक डीआर और से संबंधित सूचना संलग्न मीट का अखतौला करने का कष्ट कर निगम योजना की जन-संघर्ष परिषद की और से अधीनस्थकारी द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद के मुख्य अधिकारी को हस्तगत कर दी गयी है एवं मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दी गयी है।

नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा सामान्य योजना, गाजियाबाद पर जन-संघर्ष दिनांक 20.10.2002 को डीआर और कर दी गयी है, नगर निगम, गाजियाबाद दिनांक 1.11.2002 से सफल सेवाओं का उद्घाटन पूर्ण रूप से करेगा।

अतः यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.10.2002 को मुद्रास्तर पर हुई इटाफ बैठक में लिये गये निर्णयानुसार योजना की सेवाओं के हस्तान्तरण के साथ नगरपालिका कर्मचारियों को नगर निगम, गाजियाबाद में हस्ताक्षरित नहीं किया गया है, श्रद्धा की शर्त भी लागू नहीं की गयी है एवं उद्घाटन का आम नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा स्वयं आयोजित किया जाएगा। नगर निगम, गाजियाबाद के लिए सामग्री का प्रसूचित कर किये जाने के उपरान्त कर्मचारियों के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

योजना की सेवाओं के हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत राशि- ₹६०.०० लाख की बजटिंग भी नगर निगम, गाजियाबाद को उपलब्ध करायी जा रही है।
सादर सूचनाएं प्रेषित।

सहायक- उपरोक्तानुसार।

सचरीय

(सुरेश कुमार)
अधीनस्थ अभियन्ता
दिनांक

सूचना

उपरोक्त

निम्नलिखित को सहायक सचरीय सूचनाएं एवं आवासक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. मुख्य अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, 904 महतमा गांधी मार्ग, सह्याजक।
3. श्री बजरंगी राय, महासचरीयता, आवास आयुक्त, (स०), उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, 904 महतमा गांधी मार्ग, सह्याजक।
4. वित्त निरीक्षक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, 904 महतमा गांधी मार्ग, सह्याजक।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण कार्य-98, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।

सहायक- उपरोक्तानुसार।

(सुरेश कुमार)
अधीनस्थ अभियन्ता



2. **सड़की-**

सड़की को कुल 19 सड़कियों में बांटा गया है। सोला का अंदर की आन्तरिक सड़क को सड़की को अग्रिम में विभाजित करने वाली एक सड़की से जोड़ा गया है। एक सड़क को सड़की 18 मीटर से 4.5 मीटर तक तथा सड़की को आन्तरिक सड़की को सड़की 8 मीटर से 18 मीटर तक है।

सड़कियाँ 150 मीटर लम्बाई की सड़क का निर्माण किया जाना आवश्यक है एवं यह सड़क सिविल वर्क पर निर्माणधीन पुनः से जोड़ी जायेगी जो इन्डियन स्ट्रोक सोलर का सड़क से निकलेली घुट जायं को पुनः करने की कार्यवाही प्रगति पर है। आन्तरिक सड़कियों के संबंधित पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

3. **सड़की/सीमा बेल्ट/सिमेंट पथ एवं ओपन स्पेस :-**

सोला के विभिन्न सड़कियों में मार्च 2002 तक 1:23 मीटर चौड़ा एवं 83 मीटर लंबाई निर्मित तथा विभाजित किये गये हैं। सोला में 250x145.00 मीटर सीमा बेल्ट/सिमेंट पथ निर्मित तथा विभाजित की गयी है। सड़क पर निर्मित/विभाजित किये गये मार्च व ओपन स्पेस की सूची तथा इसकी दिवसीय सम्पत्ति ले-आउट प्लान पर अधिकांश पर मार्च-वगैर प्रतियों में दिनांक 22.1.02 को सड़क विभाग सविभाग के निर्माण विभाग में प्रेषित किया जा चुका है। सिमेंट पथ निर्माण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

4. **ड्रेनेज-**

30 प्रो अग्रिम एवं विकास इतर संघर्षित आन्तरिक सड़कियाँ सं-3 बहुमंजूर योजना पुनः 19 सड़क में विभाजित है। सोला के बरसाती पानी की निष्कासनी हेतु सोला को दो क्षेत्र में बांटा गया है। जोम प्रथम से सड़क-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 अर्थात् है किन्तु ड्रेनेज सिस्टम सड़क 20 के पास सिविल वर्क सोला को काम करने सिविल वर्क को विभाजित किया जाना है। सिविल वर्क सोला को काम करने के लिए सड़कियाँ निर्माण का मार्च 2002 दिनांक निर्माण के हेतु मार्च डिजाइन योजना अर्थात् दिल्ली द्वारा परिवार के विभाजित मार्च के रूप में किया जा रहा है तथा सड़कियाँ निर्माण मार्च प्रगति में है।

जोम द्वितीय से सड़क- 13,14,15,16,17,18 व 19 अर्थात् है। इन सड़क पर ड्रेनेज सिस्टम सविभाग विभाग सविभाग की सड़की योजना एवं सिविल वर्क सोला को सड़क सड़क के प्रथम एक क्षेत्र का निर्माण कर लीटिंग एवं बाले से सिस्टम सिविल वर्क है। विन सड़कियों के ले-आउट अभी प्रगति में अथवा विभाजित किये जा रहे हैं, जिनके आन्तरिक सड़कियों को एवं सड़कियों से जोड़ने हेतु सड़कियाँ का निर्माण किया जाना है।

जोम प्रथम एवं द्वितीय में सभी एक क्षेत्र एवं प्रतियों का निर्माण कार्य पूर्ण को पुनः है। सोला सोला में जोम प्रथम से एक क्षेत्र के क्षेत्र वाइड को सड़कियाँ से सड़कियाँ अग्रिम है जो कि सड़कियाँ निर्माण कार्य को पूर्ण हो जाने पर जोड़ा जायेगा।

सोला से एक क्षेत्र जो कि विभिन्न प्रकार की निर्मित है जो सड़कियाँ, सोला एवं इनमें से विभिन्न सोला में प्रगति गये है तथा जोम प्रथम एवं जोम द्वितीय के अन्तिम सिस्टम सिविल वर्क प्रगति में अधिकांश पर किये गये है।

एक क्षेत्र की विभिन्न सड़कियाँ निर्माण की निर्मित एक क्षेत्र को सड़कियाँ का विवरण परिशिष्ट 'ब' तथा आन्तरिक सड़कियों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

समाप्ति:-




बहुमंजूर योजना सविभाग का सड़कियों में सड़कियाँ को विभाजित किया गया है। सड़कियों सड़कियों से विवरण सिविल वर्क है।

(Handwritten signatures and initials)



संशोधन प्रयोग-1, निदेशिका में संशोधन एवं प्रयोग करने के लिए

क्र. सं.	विवरण	प्रयोग के प्रकार	संशोधन / संशोधन	निदेश / निदेशिका	संशोधन / संशोधन	प्रयोग
1	1 से 1 तक	अ	-	-	-	-
2	1	अ	-	ख	-	-
3	1	अ	-	ग	घ	-
4	1	अ	-	-	-	-
5	1	अ	-	-	-	-
6	1	अ	-	-	-	-
7	1	अ	-	-	-	-
8	1	अ	-	-	-	-
9	1	अ	-	-	-	-
10	1	अ	-	-	-	-
11	1	अ	-	-	-	-
12	1	अ	-	-	-	-
13	1	अ	-	-	-	-
14	1	अ	-	-	-	-
15	1	अ	-	-	-	-
16	1	अ	-	-	-	-
17	1	अ	-	-	-	-
18	1	अ	-	-	-	-
19	1	अ	-	-	-	-
20	1	अ	-	-	-	-
21	1	अ	-	-	-	-
22	1	अ	-	-	-	-
23	1	अ	-	-	-	-
24	1	अ	-	-	-	-
25	1	अ	-	-	-	-
26	1	अ	-	-	-	-
27	1	अ	-	-	-	-
28	1	अ	-	-	-	-
29	1	अ	-	-	-	-
30	1	अ	-	-	-	-
31	1	अ	-	-	-	-
32	1	अ	-	-	-	-
33	1	अ	-	-	-	-
34	1	अ	-	-	-	-
35	1	अ	-	-	-	-
36	1	अ	-	-	-	-
37	1	अ	-	-	-	-
38	1	अ	-	-	-	-
39	1	अ	-	-	-	-
40	1	अ	-	-	-	-
41	1	अ	-	-	-	-
42	1	अ	-	-	-	-
43	1	अ	-	-	-	-
44	1	अ	-	-	-	-
45	1	अ	-	-	-	-
46	1	अ	-	-	-	-
47	1	अ	-	-	-	-
48	1	अ	-	-	-	-
49	1	अ	-	-	-	-
50	1	अ	-	-	-	-
51	1	अ	-	-	-	-
52	1	अ	-	-	-	-
53	1	अ	-	-	-	-
54	1	अ	-	-	-	-
55	1	अ	-	-	-	-
56	1	अ	-	-	-	-
57	1	अ	-	-	-	-
58	1	अ	-	-	-	-
59	1	अ	-	-	-	-
60	1	अ	-	-	-	-
61	1	अ	-	-	-	-
62	1	अ	-	-	-	-
63	1	अ	-	-	-	-
64	1	अ	-	-	-	-
65	1	अ	-	-	-	-
66	1	अ	-	-	-	-
67	1	अ	-	-	-	-
68	1	अ	-	-	-	-
69	1	अ	-	-	-	-
70	1	अ	-	-	-	-
71	1	अ	-	-	-	-
72	1	अ	-	-	-	-
73	1	अ	-	-	-	-
74	1	अ	-	-	-	-
75	1	अ	-	-	-	-
76	1	अ	-	-	-	-
77	1	अ	-	-	-	-
78	1	अ	-	-	-	-
79	1	अ	-	-	-	-
80	1	अ	-	-	-	-
81	1	अ	-	-	-	-
82	1	अ	-	-	-	-
83	1	अ	-	-	-	-
84	1	अ	-	-	-	-
85	1	अ	-	-	-	-
86	1	अ	-	-	-	-
87	1	अ	-	-	-	-
88	1	अ	-	-	-	-
89	1	अ	-	-	-	-
90	1	अ	-	-	-	-
91	1	अ	-	-	-	-
92	1	अ	-	-	-	-
93	1	अ	-	-	-	-
94	1	अ	-	-	-	-
95	1	अ	-	-	-	-
96	1	अ	-	-	-	-
97	1	अ	-	-	-	-
98	1	अ	-	-	-	-
99	1	अ	-	-	-	-
100	1	अ	-	-	-	-

CD-1  EE
 CD-10  EE
 CD-11  EE
 CD-16  EE
 CD-22  EE
 CD-27  EE
 CD-32  EE



Document - 4



Image 3: Uprooting of Trees in Sector 15 Green Belt being inspected by Forest Department Employee.




Image: 4: Bulldozer being used to destroy the Green Belt and the heap of cementing tiles ready to cover the green belt.




Image 7: More Permanent Shops coming up in the green belt of Sector 15 Vasundhara.




Image 8: The images of the green belt where the newly constructed Nallah and the Generator after encroachment.




Image 1: After Complete Encroachment in Green Belt of Sector 15 Vasundhara, Ghaziabad.



Image 2: Just Before Encroachment - After Destruction of Greenery and plantation in Green Belt of Sector 15 Vasundhara.



TRUE COPY




Image 5: The foundation stone laid by Mayor, Municipal Commissioner of Ghaziabad and Councilor of the Ward 74, Ghaziabad.




Image 6: A public toilet built under Swachh Bharat Abhiyan being destroyed pave way for encroachment by Nager Nigam Ghaziabad. Also the tree was partially destroyed by Bulldozer. The fencing pillar was destroyed to encroach the greenbelt.

ग्रीन बेल्ट बचाने के लिए आगे आए लोग, धरने पर बैठे

■ एनबीटी न्यूज, वसुंधरा: ग्रीन बेल्ट में बँडिंग जॉन निर्माण का मामला उग्र होत जा रहा है। बुधवार को कई संस्था के पदाधिकारियों और निवासियों ने आवास विकास कार्यालय में धरने प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन द्वारा जल्द संज्ञान न लेने पर प्रदर्शन को चेतावनी दी।

दरअसल, लोगों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा आवास विकास परिषद के सेक्टर-17 और सेक्टर-15 की ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण किया जा रहा है। रात में जेसीबी से पेड़ों को गिराया जा रहा है। ग्रीन बेल्ट को उजाड़ने का कार्य जारी है। लोगों का आरोप है कि यहां फर्श करवाकर अस्थायी दुकानें लगाने की तैयारी है। समाजसेवी अमित किशोर ने बताया कि यह कार्य पूरी तरह गलत है। इसलिए हम आवास विकास से कार्रवाई की माग

सेक्टर-17 और सेक्टर-15 की ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण के खिलाफ फूटा गुस्सा



आवास विकास कार्यालय पर बुधवार को सांकेतिक प्रदर्शन किया गया।

कर रहे हैं। बताया कि इस बार प्रदर्शन में पर्यावरणविद् शामिल होंगे। प्रदर्शन में सफाई मुहिम, सफाई एक्सप्रेस और वैशाली-वसुंधरा की अनेक संस्थाओं के साथ किसान समिति प्रह्लाद गढ़ा के लोग, संदीप कुमार गुप्ता, गिरीश शर्मा, स्वरूपानंद पांडे, इमरान खान, राजेंद्र अवस्थी, मनीष त्यागी, वाचस्पति सिंह, शिवानंद यादव, विक्रम सिंह, अशोक वर्मा, आदेश त्यागी आदि शामिल हुए।

समाने,
अधीनस्थ अधिकारी
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
सेक्टर-15, वसुंधरा, गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
अधीनस्थ अधिकारी
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
सेक्टर-15, वसुंधरा, गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
22/09/2021

दिनांक-22/09/2021

संदर्भ: GKS/AWASVikas/Sep21/NGG

आवास विकास परिषद द्वारा संस्थागत अतिक्रमण को रोक लगाना
वसुंधरा की सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या और नगर निगम द्वारा सड़क के किनारे वेडिंग फोन
बनाकर खोले लगाने की वैधता और आवास विकास के व्यावसायिक परिसरों के आबंटियों का भविष्य

महोदय,

आपके संज्ञान में लाता है कि आपके द्वारा निर्मित वसुंधरा कालोनी को अपने आबंटियों को बेचने के उपरान्त
सेक्टर 15 नगर निगम गाज़ियाबाद की हस्तान्तरित कर दिया। आपके हस्तान्तरण के उपरान्त सड़कों के किनारे
छोटे दुकानदारों द्वारा ग्रीन बेंच और सड़कों पर भव्य अतिक्रमण किया गया है जिसे हटाने की जिम्मेदारी
नगर निगम की होती है किन्तु नगर निगम इस जिम्मेदारी को नहीं निभाता है।

यहाँ के जनसामान्य के लिए अपने व्यावसायिक परिसरों का निर्माण किया था, इस अतिक्रमण के चलते वह नहीं
कर रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि अपने खुद के नियमों को तक पर रखकर अपने पार्कों में सड़क के
किनारे नजर डेरी (सेक्टर 17 और 18), पुलिस चौकी (सेक्टर 17) और पोस्ट ऑफिस (सेक्टर 17) जैसी
सरकारी संस्थाओं को अपने भवन बनाने की अनुमति दी। महोदय इस प्रकार आपका विभाग संस्थागत
अतिक्रमण को निरंतर बढ़ावा देता आया है, जिसके कारण आम लोगों को आप पर विश्वास नहीं रहा।

अभी अभी संज्ञान में आया है कि अतिक्रमण को हटकर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को सेक्टरों में स्थित
व्यावसायिक कम्प्लेक्स में चलाने के बजाय नगर निगम गाज़ियाबाद स्वयं सड़कों के किनारे खोले लगाने
का रहा है जिसको किराए पर देकर वह न सिर्फ अतिक्रमण और व्यावसायिक गतिविधि कर रहा है, बल्कि
सड़क किनारे खोले लगाने को एक झानूनी जमा पहना रहा है।

महोदय क्या आपने नगर निगम को कालोनी हस्तान्तरित करते समय इस बात की अनुमति दी कि वह ग्रीन बेंच
के अंदर या सड़क के किनारे अपने खोले लगाकर व्यावसायिक गतिविधि चलाए और सार्वजनिक जमीन पर
अतिक्रमण करे, हुने उम्मीद है आपका विभाग इसे अतिक्रमण की श्रेणी में रखते हुए नगर निगम को इसे
हटाने के लिए नोटिस देगा।

नगर निगम ने ऐसा करते समय गानारियों से भी कोई राह नहीं ली, महोदय एक आबंटो होने की हैसियत से मैं
आपसे मांग करता हूँ कि नगर निगम द्वारा सड़क किनारे लगाए जा रहे खोलों पर प्रतिबन्ध लगाए, पुलिस को
सूचित करें और निगम को निर्दिष्ट करें की वह व्यावसायिक गतिविधियाँ सिर्फ व्यावसायिक कान्टेक्स में
चलाये या गानारियों की अनुमति दें और अतिक्रमण पर अंकुश लगाए।

इसका सं

श्री विश्व कुमार शर्मा

भूतपूर्व वापुसेलिक

पता: बी 102, सेक्टर 17, नगर निगम चाई 74, वसुंधरा, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201012

ईमेल : ghoosh.sharma@gmail.com

मोबाईल संख्या : 8800-378-503

संदर्भ: निगम द्वारा खोले लगाने पर अहवाल की रिपोर्ट



TRUE COPY



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता-गाजियाबाद नूता,
वसुन्धरा कॉम्प्लेक्स, सेंटर-15ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद,
दूरभाष नं० 0120-4133277, ई-मेल-circle7@upavp.com



पत्र नं०-

/ G-S / 877

दिनांक :- 22/9/2021

सेवा में-

अधिसूची अभियन्ता,
निर्माण खण्ड गाजियाबाद-01, 02 एवं 08,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद।

विषय :-

आवास विकास परिषद द्वारा संस्थागत अतिक्रमण को रोक लगाना, वसुन्धरा की सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या और नगर निगम द्वारा सड़क के किनारे बंदिंग जॉन बनाकर खोखे लगाने की विद्यता और आवास विकास के व्यवसायिक परिसरों के आवंटियों का भविष्य, के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, श्री गिरिजा कुन्वर गर्मा, भूतपूर्व वायुसेनिक, पता बी-103, सेंटर-17, नगर निगम वार्ड नं०-74, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012, उ०प्र० के शिकायती पत्र दिनांक 22.09.2021 (प्रति संलग्न) का संदर्भ रहकर, जिसमें द्वारा आवास विकास परिषद द्वारा संस्थागत अतिक्रमण को रोक लगाना, वसुन्धरा की सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या और नगर निगम द्वारा सड़क के किनारे बंदिंग जॉन बनाकर खोखे लगाने की विद्यता और आवास विकास के व्यवसायिक परिसरों के आवंटियों का भविष्य, विषयक शिकायती पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रति आपको इस आशय से संलग्न प्रेषित है कि शिकायती पत्र में उल्लिखित समस्याओं का अपने-अपने खण्ड कार्यालय का निरीक्षण करवाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करके हुए सम्बन्धित शिकायतकर्ता एवं इस कार्यालय को भी अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(चक्रेश चण्ड)
अधीक्षण अभियन्ता

प्राप्तकर्ता- 3392 उमा /

संदिनांक :- उपरोक्तानुसार।

प्रेषितकर्ता-

श्री गिरिजा कुन्वर गर्मा, भूतपूर्व वायुसेनिक, पता: बी-103, सेंटर-17, नगर निगम वार्ड नं०-74, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012, उ०प्र० को सूचनाई प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता-गाजियाबाद वृत्त,
वसुन्धरा कॉम्प्लेक्स, सेंटर-16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद,
दूरभाष नं० 0120-4193277, ई-मेल-circle7@uphdb.com

फाइल नं० 21/180/2021



पत्र सं०-
सेवा नं०-

UPHDB/GZB-CIRCLE/2021/G-W 923

दिनांक - 1/10/2021

नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम,
नवयुग मार्केट, गाजियाबाद।

विषय- वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में सड़कों के किनारे वेडर लोड्डे रखवाने के कारण आम जन में आक्रोश एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों के सम्बंध में।

- संदर्भ** (1) श्री निरिश शर्मा, भूतपुत्र गायत्रीनिक, बी-102, सेंटर-17, वसुन्धरा, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 22.09.21
(2) अध्यक्ष, किसान समिति गाजियाबाद, आवास विकास कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं० जीएस-8, सेट-16ए वसुन्धरा, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 21.09.21
(3) श्री आरुण, अध्यक्ष वसुन्धरा किसान सेवा समिति, गाजियाबाद (जि०), 8174 गैर रेलवे रोड साहेबाबाद, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 21.09.21
(4) श्री आदेश ल्योनी, प्रहलाद गढ़ी, वसुन्धरा, गाजियाबाद की अर्ज/शिकायत शिकायती संदर्भ सं०-400140210030003 दिनांक 24.09.21

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें द्वारा शिकायत की गयी है कि "जिसके द्वारा परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेंटर-16 व 17 में नगर निगम द्वारा मुख्य मार्ग पर लोड्डे की दुकान बनाकर परिषद की जमीन पर बाधना किये जाने एवं लोड्डे की दुकानें (लोड्डे) लगाने से आवे दिन आम की स्थिति बनी रहेगी। परिषद द्वारा उक्त योजना को नगर निगम को जन सुविधा हेतु हस्तान्तरण किया गया है, जिसमें सौत, पानी एवं सड़क की सुविधा जन-सामान्य को दी जानी है, किन्तु नगर निगम परिषद की सड़क को बेध रहा है, जिससे जन-सामान्य को एवं परिषद को असुविधा होगी।"

उक्त सम्बंध में अग्रगत कथना है कि परिषद द्वारा वसुन्धरा योजना की समस्त सेवाएँ (जैसे- सड़क, सीवर, पार्क, हरित पट्टी) बतयादि को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित की गयी है, जिसमें जन-मानस की सुविधा एवं भाग के अनुरूप परिषद द्वारा निर्मित सार्वजनिक स्थलों की सुविधाओं में बदलाव किया जा सकता है (जोकि आम-जनमानस एवं परिषद हित में है) नगर निगम द्वारा उक्त स्थलों पर बेमिदग लोग के रूप में लगाये लोड्डे की दुकानों से मुख्य मार्ग अवरुद्ध होने से योजना का स्वरूप विकृत होने एवं आवंटियों में भारी आक्रोश से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसके कारण परिषद की व्यवसायिक तथा आवसीय सम्पत्तियों की विक्रयशीलता भी प्रभावित होगी। तथा मुख्य मार्ग पर यातायात में भी समस्या होगी।

अतः उपरोक्त सन्दर्भित शिकायतों की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न प्रेषित है कि कृपया शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में मुख्य मार्ग पर लगाये गये लोड्डे को खोलने को हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें, किन्तु परिषद की व्यवसायिक सम्पत्ति की विक्रयशीलता प्रभावित हो रही है एवं योजना का स्वरूप विकृत न हो एवं आवंटियों के भारी रोष का सामना न करना पड़े।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधीक्षण अभियन्ता



TRUE COPY

पुस्तक : 3513

/उक्त/

1/2/1

सदिनांक :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी(न), गाजियाबाद को उपरोक्त सन्दर्भित शिकायती पत्रों की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न प्रेषित की उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित कराने का कष्ट करें।
2. उप-आवास अधिकारी, मेरठ जेन, 3090 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-2, शाहीनगर, मेरठ।
3. अधिसूची अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-01/02/03 3090 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद को उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न सहित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री विरिष शर्मा, निवासी-बी-102, सेक्टर-17, वसुन्धरा, गाजियाबाद के पत्र दिनांक-22.09.21 के सन्दर्भ में।
5. अध्यक्ष, किसान समिति गाजियाबाद, आवास विकास कॉम्प्लेक्स, दुकान नं० जीएल-8, से०-16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद को उनके पत्र दिनांक 21.09.21 के सन्दर्भ में।
6. श्री आनंद, अध्यक्ष वसुन्धरा किसान श्रमक समिति, गाजियाबाद (रहित), 6174, मेर सेक्टर 2, शाहीनगर, गाजियाबाद को उनके पत्र दिनांक 21.09.21 के सन्दर्भ में।
7. श्री आदेश त्यागी, प्रहलाद गढ़ी, वसुन्धरा, गाजियाबाद को उनके आईजीआरएस शिकायती सन्दर्भ सं०-40014021035063 दिनांक 24.09.21 के सन्दर्भ में।

अधीक्षक अभियन्ता



पुस्तक : 3513

/उक्त/

//2//

सदिनांक :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी(न), गाजियाबाद को उपरोक्त सन्दर्भित शिकायती पत्रों की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न प्रेषित की उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित कराने का कष्ट करें।
2. उप-आवास अधिकारी, मेरठ जेन, 3090 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-2, शाहीनगर, मेरठ।
3. अधीनस्थ अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-01/02/03 3090 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद को उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न सहित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री विरिष शर्मा, निवासी-बी-102, सेक्टर-17, वसुन्धरा, गाजियाबाद के पत्र दिनांक-22.09.21 के सन्दर्भ में।
5. अध्यक्ष, किसान समिति गाजियाबाद, आवास विकास कॉम्प्लेक्स, दुकान नं० जीएल-8, से०-16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद को उनके पत्र दिनांक 21.09.21 के सन्दर्भ में।
6. श्री आनन्द, अध्यक्ष वसुन्धरा किसान श्रमक समिति, गाजियाबाद (रहित), 6174, मेर सेक्टर 2, शाहीनगर, गाजियाबाद को उनके पत्र दिनांक 21.09.21 के सन्दर्भ में।
7. श्री आदेश त्यागी, प्रहलाद गढ़ी, वसुन्धरा, गाजियाबाद को उनके आईजीआरएस शिकायती सन्दर्भ सं०-40014021035063 दिनांक 24.09.21 के सन्दर्भ में।

अधीनस्थ अभियन्ता



TRUE COPY

सेवा
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश

20014021013
12/11/2021
4903

महोदय
कृष्णा उद्योगिक एवं विकास परिषद
आपकी सिडि पत्र संख्या UPHDB/GZB-CIRCLE/2021/G-8/
1019 दिनांक 28/10/2021 का सम्बन्ध में। साथ ही इस पत्र में संदर्भित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के
आपकी सिडि पत्र संख्या 2082/G-3/105 दिनांक 28/06/2018 का भी सम्बन्ध में। इसके उपरान्त उत्तर प्रदेश
आवास एवं विकास परिषद द्वारा वरीयता कालोनी को नगर निगम को हस्तांतरित करते समय नियम और शर्तों का
भी सम्बन्ध में। दोनों पत्रों की छायाप्रति एवं नियम और शर्तों की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न हैं। इसके साथ
समाचारपत्रों में प्रकाशित खबर भी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है।

दिनांक: 12/11/2021

विषय: नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उद्योग विकास परिषद की आपत्ति के बावजूद वसुंधरा सेक्टर 15/17 को
खीन बेल्ट उजाड़ना, पैड हटाकर गोरखानाली सेक्टर से पक्का करके लोहे की दुकानें बनाकर खीन बेल्ट की प्रकृति को
रोकने का इस पुरोप्रकरण में संभावित मुद्दाधार की जांच की जाये

महोदय,

कृष्णा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आपको सिडि पत्र संख्या UPHDB/GZB-CIRCLE/2021/G-8/
1019 दिनांक 28/10/2021 का सम्बन्ध में। साथ ही इस पत्र में संदर्भित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के
आपकी सिडि पत्र संख्या 2082/G-3/105 दिनांक 28/06/2018 का भी सम्बन्ध में। इसके उपरान्त उत्तर प्रदेश
आवास एवं विकास परिषद द्वारा वरीयता कालोनी को नगर निगम को हस्तांतरित करते समय नियम और शर्तों का
भी सम्बन्ध में। दोनों पत्रों की छायाप्रति एवं नियम और शर्तों की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न हैं। इसके साथ
समाचारपत्रों में प्रकाशित खबर भी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है।

महोदय, उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अर्द्ध रूप से आवास विकास परिषद
द्वारा की गयी वसुंधरा के जिकासियों को खीन बेल्ट एवं पर्यावरण हेतु निर्मित सेक्टर 15/17 खीन बेल्ट पर
अर्द्ध और अर्धवैधानिक रूप से कब्जा करके, हरित पट्टी को उजाड़कर और गेझी को हटाकर गोरखानाली पट्टी पर वहां
सीमेंट ईंट द्वारा पक्का करके वॉलिंग जॉन बनाने के काम पर अनैतिक कब्जा और पर्यावरण विरोधी कार्य किया जा
रहा है।

दस्ता, यह कार्य वसुंधरा को विभाजित करने वाली मुख्य सड़क और चौराहे के साथ किया जा रहा है जिससे आये
दिन मुख्य सड़क जाम रहेगी। इसके अतिरिक्त पुलिस से भी कोई क्लीयरेंस नहीं ली गयी है।

महोदय, दो वर्ष पूर्व जिलाधिकारी गाजियाबाद, आवास विकास परिषद और नगर निगम की समुक्त बैठक में वॉलिंग
जॉन के लिए आवास विकास परिषद द्वारा अर्द्ध रूप से स्थान दिया गया है, किन्तु उस आदेश को अंजित करने के लिए
नगर निगम की आपत्ति और नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम गाजियाबाद खीन बेल्ट में अर्द्ध दुकानें बनाना
कर अनाधिकृत कर रहा है।

महोदय यह भी पता चलता है की नगर निगम के अधिकारियों एवं किसी भी नाम के दबंग द्वारा दुकानदारों को इस
आवेदन हेतु किसी प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से पैसा जमा करवाने को कहा जा रहा है जो पैसा लगे अंग एक लाख से दो
लाखों के बीच है। 27 जून को नगर निगम के अध्यक्ष एवं नगर के आवास विभाग के अधिकारियों को अवगत है।




घोटले का अदिसा है. इस अस्तावर / घोटले को शसन के स्तर पर जांच होनी चाहिए की यही इसने भोले भाले दुकाजदारी को घोटले सोनही दिवा जा रहा है

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विभिन्न और डकतु ऐ और सामाजिक करते हैं की आम नगरपालिका को तुरंत इस कसबे को रोक्ने हेतु निर्देशित करे एवं इसने दस्तावे, अधिकारीयो, कार्यधारियो द्वारा किये जा रहे घोटले की जांच करावये।

सामग्रीनाम

1. पत्र संख्या UPHBB/GZB-CIRCLE/2021/G-8/ 1019 दिनांक 26/10/2021
2. पत्रांक 2082 /G : 3 /105 A दिनांक 28/05/2018
3. नगर निगम को हस्तान्तरित किये गये नियम और शर्तों की ध्यापत्रि
4. अखबार की खबर

नियोजक



अनिल कुमार,
समाज सेवा
9818810580



नियोजक शर्मा
सामाजिक सेवा, सेक्टर 17 जी 1+2 पल्लव
9800376509

क्र.सं.	नाम	पता	सं.सं.
2	SANDEEP KUMAR GUPTA	C-301, SUREKHAR ENCLAVE, VASUNAHARA	9879529294
3	RISHI DEVI	CHABRA	9891018668
4	Nargis	Vasunahar	9899020339
5	Bushant Singh	4166/48	9310571770
6	Sunil Kumar	2-B-65 Vasunahar	9811792063
7	Imrana Khan	Saahilpur Vasunahar	9312740703


घोटले का अदिसा है. इस अस्टाचर / घोटले को शसन के स्तर पर जांच होनी चाहिए की मही इसने मोले माले दुकाजदारी को घोटले सोनही दिवा जा रही है

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अंतर डकू ऐ और सामाजिक करते हैं की आम नगरपालिका को तुरंत इस कसबे को रोखने हेतु निर्देशित करे एवं इसने दस्तावेज, अधिकारीयों, कार्यधारियों द्वारा किये जा रहे घोटले की जांच करावाये।

संलग्नक

1. पत्र संख्या UPHBB/GZB-CIRCLE/2021/G-8/ 1019 दिनांक 26/10/2021
2. पत्रांक 2082 /G : 3 /105 A दिनांक 28/05/2018
3. नगर निगम को हस्तान्तरित किये गये नियम और शर्तों की ध्यापत्रि
4. अखबार की खबर

नियंत्रक




अनिल कुमार,
समाज सेवा
9818810580



नियंत्रक शर्मा
समाजसेवी, सेक्टर 17 डी 1+2 पतुंधरा
9800376509

क्र.सं.	नाम	पता	फोन नंबर
2	SANDHEP KUMAR G.W.	C-301, SUREKHAR ENCLAVE, VASUNAHARA	9879529294
3	RISHI DEVI	CH984	9891018668
4	Nargis	Vasunahar	9899020339
5	Banshari Sarda	4166/48	9310571770
6	Sunil V.M.	2-B-65 Vasunahar	9811792063
7	Manoj Kumar	Vasunahar	9312740703



निसर्गपट्टी संघ

प्रेषक

परिचालन अधिकारी,
मिसा नारीय विकास अभियान (मुंबई),
सावित्रवाघट।

प्रेषक से

मिसा निसर्गपट्टी,
सावित्रवाघट।

दिनांक 23/02/2023/संघ-मोडल/संघ/2023

दिनांक 23-12-23

विषय-

निसर्गपट्टी संघ संघ 2023-24/संघ/2023/5000 दिनांक 23.11.2023 के
संबंध में।

साहित्य

सूचना प्रमेलना विभाग पर संघीय प्रस्ताव करने का कार्य करने को श्री अश्विनी
किशोर एवं श्री निराला शर्मा के वरु दिनांक 22.11.2023 को नगर निगम सावित्रवाघट द्वारा संघ
विभाग परिवार को अर्पित की-सहायक प्रमुख संघ 13/न की डीएम ईमेल उदाहरण, पेट
हस्ताक्षर गैर कानूनी तरीके से प्रस्ताव करने वाले को दुरुस्त प्रस्ताव करने को सावधान में है।
इस संबंध में अज्ञात कथना है कि प्रस्ताव दुरुस्त कार्यलय से संचालित नहीं है।
सूचना प्रमेलना संघगत होने का कार्य करें।

आपके उत्तर अर्पित है कि सूचना प्रमेलना के संबंध में वरु प्रस्ताव को दुरु
कार्यलय के आइटी/ऑफिसर को चोटल से विवेचित करने का कार्य करें।


अधिकारी

परिचालन अधिकारी,
मिसा नारीय विकास अभियान,
सावित्रवाघट।

PREVIOUS

NEXT





निसर्गिणी मंडल

प्रेषक

परिषदनायक, निसर्ग नारीय विकास अभियान, (सुप्री), साहिबगढ़।

प्रेषक से

निसर्गिणी, साहिबगढ़।

दिनांक 14/02/23/बुध-मोठल/सम्रा/2023

दिनांक 22-11-23

विषय- निसर्गिणी सौल संस्था 2021-2022/5000/5000 दिनांक 22.11.2021 के प्रत्यक्ष में।

साहिबगढ़

सुप्रभा प्रमोदना विभाग पर सौल प्रकल्प करने का प्रस्ताव करने को श्री अश्विनी निहार एवं श्री निसर्गिणी मंडल के वरु दिनांक 22.11.2021 को नगर निगम साहिबगढ़ द्वारा अग्रिम विचार-परिषद की उपस्थिति में-सहायक प्रमुख वीरू 13/11 को हीन बैठक लगाकर, पेट प्रस्ताव पर संपूर्ण सचिव के प्रस्ताव को स्वीकार करने को प्रस्ताव को मान्यता में है।

इस प्रस्ताव में अग्रिम कदम है कि प्रस्ताव कुछ कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। सुप्रभा समुदाय समता होने का प्रस्ताव है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सुप्रभा, सहायक के सहित्व में वरु प्रस्ताव को अग्र कार्यालय के आइएसीआयएल से विवेचित करने का प्रस्ताव करें।

भवदीय

परिषदनायक, निसर्ग नारीय विकास अभियान, साहिबगढ़।

PREVIOUS

NEXT




TRUE COPY

संलग्नक:

1. आपका आवेदन पत्र
2. नगरपालिका की आख्या
3. इलाका परिषद/अधिकारी की आख्या
4. आवास विकास परिषद का पत्र- दिनांक 28/10/2021
5. सम्बन्धित पत्रों की प्रति



निवेदक:



अमित किशोर,
समाज सेवी
9316880680

निवेदनकर्ता
समाजसेवी, सेक्टर 17 बी २०२ वसुंधरा
8800378503



	नाम	पता	फोन नंबर / SIGN
1.	Akanksha	17-B/102	9717723079 
2.	Umaan Khari	Prabhu Lal Khari 19/319, Satyam Vasundhara-	9312740303  9312205865 
3.	R. K. AVASTHI	Vasundhara-	

पृष्ठ 2/2



जिलाधिकारी संदर्भ

प्रेषक,

परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण (दूडा),
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्रांक २७२५/दूडा-पोर्टल/संदर्भ/2022

दिनांक २१-३-२२

विषय- जिलाधिकारी संदर्भ संख्या 20014022000302/114 दिनांक 07.01.2022-के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो श्री अमित किशोर व श्री गिरिश शर्मा के संयुक्त शिकायती पत्र जिसमें वसुधारा सीक्टर 15 की ग्रीन बेल्ट में बिना जा रहे अतिक्रमण कर लोहे खोखो को अविलम्ब हटवाने के सम्बन्ध में है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगरीय पथ विकेंद्राओं के अधिकांश का संरक्षण करने और पथ विकय किया-कलापो का विनियमन करने हेतु नियमावली नगर विकास अनुभाग 9 तः 111/9-9-2017-170ज/2006 लखनऊ दिनांक 10.05.2017 के अन्तर्गत दूडा विभाग को नगरीय क्षेत्र में खोखा उठाने अथवा आवंटित किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि नगर निगम क्षेत्र में वेस्टिंग जोन तैयार कराने हेतु टाउन प्लानिंग कमेटी गठित है टाउन प्लानिंग कमेटी के अनुमोदन उपरान्त ही खोखे/ठिपे को हटाने तथा आवंटन का कार्य किया जाता है। कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के परिपेक्ष्य में उक्त प्रकरण को इस कार्यालय के आईटीजीआरएस0 पोर्टल से निष्केपित करने का कष्ट करें।

नयदीप

परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
गाजियाबाद।

TRUE COPY

PHOTO-2022-02-23-18-14-43.jpg

<https://mail.google.com/mail/u/0>

10:47 AM



Track Grievance

Applicant name - जमित किशोर

Father / Husband name -

Mobile number 1 - 9818880680

Address - से० 16 वसुंधरा गा०बाद

Application details

Complaint No - 20014022000136

Complaint Type - शिकायत

Complaint Date - 05-01-2022

Complaint Status - ललित

Application details

सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने के बाबत

SEND REMINDER

VIEW AKKHYA DETAILS



TRUE COPY



ग्रीन बेल्ट में वेंडिंग जोन बनाने से नाराज लोग जाएंगे एनजीटी

वसुंधरा। सेक्टर-15 हरित पट्टी पर नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे वेंडिंग जोन के खिलाफ स्थानीय लोग एनजीटी में शिकायत करेंगे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनकी शिकायत के बाद डीएम ने नगर आयुक्त को यहां से लोहे के खोखे हटाए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके अभी तक निगम खोखे को हटाए जाने की बजाय उस रोड पर और अधिक खोखे रखे जा रहे हैं।

नगर निगम द्वारा खोखे न हटाए जाने पर वसुंधरा की विभिन्न आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों ने शनिवार को ऑनलाइन पोर्टल पर बैठक की। तय किया गया कि आरडब्ल्यू का एक प्रतिनिधि सोमवार को दोबारा जिलाधिकारी से मिलेंगे और वेंडिंग जोन न हटाए जाने की जानकारी देंगे। लोगों ने कहा कि विरोध के बावजूद सेक्टर 15 की 100 मीटर लंबी ग्रीन बेल्ट में 41 से भी अधिक दुकानें रख दी गई हैं। फैसला किया कि जिलाधिकारी स्तर पर भी लोगों की बात नहीं सुनी गई तो वसुंधरा वासियों की ओर से एनजीटी में इसके खिलाफ रिट दाखिल की जाएगी। ब्यूरो



HRIT
ESTD. -2005

HR OF

under the aegis

(Approved by Al)

Alumni : 10000+ | Plac

Inviting

AD



TRUE COPY

संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

26/11/2021

पृष्ठ सं. 1

भारी विरोध के बीच दुकानों की चाबी वेंडर्स को सौंपी

जागरण, सहायदाता, साहित्यिक

बसुंधरा सेक्टर 15 में एक सड़क निर्माण के भारी विरोध के बाद सहायदाता सेक्टर में सहायदाता की चाबी चार दिनों के बाद सौंपी गई है।

सहायदाता सेक्टर में सहायदाता की चाबी चार दिनों के बाद सौंपी गई है।



सहायदाता सेक्टर-15 में सड़क निर्माण का दृश्य

सहायदाता सेक्टर में सहायदाता की चाबी चार दिनों के बाद सौंपी गई है।

सहायदाता सेक्टर में सहायदाता की चाबी चार दिनों के बाद सौंपी गई है।

सहायदाता सेक्टर में सहायदाता की चाबी चार दिनों के बाद सौंपी गई है।

नगर निगम के सभी अधिकारियों ने वसुंधरा के हजारों परिवार के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है।

दुकानों को धरती से हटाने के लिए पुनर्निर्माण में बाधिका दाखल करे।

आवास-निकास परियोजना के विरोध करने के बाद भी निगम ने गैर कानून की धमकी देना शुरू किया।

सहायदाता सेक्टर में सहायदाता की चाबी चार दिनों के बाद सौंपी गई है।



TRUE COPY

...के ...
 ...के ...
 ...के ...
 ...के ...
 ...के ...

...के ...
 ...के ...
 ...के ...
 ...के ...
 ...के ...

अतिक्रमण हटाने पहूच चो वेडयो ने लगार भरजायार के आरोप

प्रमुख सदासदता, समुच्चय : नगर निगम ...
 ...के ...
 ...के ...
 ...के ...
 ...के ...

भरनाताल और भाजायार बना वोट भागाने का



महानगरपालिकाको कार्यालयमा रहेको एक सभ्यताको चिह्नको रूपमा रहेको छ। यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ। यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ। यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ।

यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ। यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ। यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ। यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ।

यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ। यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ। यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ। यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ।

वसुंधरा में ग्रीनबेल्ट उजाड़कर रखे गए खोखे पर जांच का दिया आदेश

एसडीएम सदर से मामले को लिया सज्ञान, RWA कर रही थी शिकायत

बसुंधरा में ग्रीनबेल्ट उजाड़कर रखे गए खोखे पर जांच का दिया आदेश

सदर 18 दिवस के अन्दर ही उजाड़कर रखे गए खोखे पर जांच का दिया आदेश। एसडीएम सदर से मामले को लिया सज्ञान, RWA कर रही थी शिकायत।



ग्रीनबेल्ट को उजाड़ने को लेकर जयपुर की मांग

इस मामले में शिकायत करते हुए स्थानीय लोग मिले थे। इसके माग पर निगरान और कुछ ही जुरा हुआ है। इसीलिए शिकायत जयपुर के आदेश दिए गए हैं।

यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ। यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ। यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ। यसको अभावले नगरको विकासमा बाधा पार्ने गरेको छ।

अघोषित बिजली कटौती बनी समस्या

बिजली कटौती बनी समस्या। अघोषित बिजली कटौती बनी समस्या। अघोषित बिजली कटौती बनी समस्या। अघोषित बिजली कटौती बनी समस्या।

बिजली की समस्याओं को लेकर किया आवेदन

बिजली की समस्याओं को लेकर किया आवेदन। बिजली की समस्याओं को लेकर किया आवेदन। बिजली की समस्याओं को लेकर किया आवेदन। बिजली की समस्याओं को लेकर किया आवेदन।



'सांसों की बगिया' उजाड़ने पर आपस में ही भिड़ गए दो सरकारी महकमे

जासी साहियाबाद : वसुंधरा सेक्टर 15 में ग्रीन बेल्ट को तहस-नहस कर पर्यटन को मुकामान पहुंचाया गया और 60 से अधिक लोहे की दुकानें बना दी गई। लोगों ने ग्रीन बेल्ट को उजाड़ने का विरोध करते हुए दुकानों के आवंटन में धंधली का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अब नगर निगम और डूडा एक-दूसरे को ग्रीन बेल्ट उजाड़ने के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं।

बता दें कि वसुंधरा सेक्टर 15 की ग्रीन बेल्ट उजाड़कर लोहे 60 से अधिक लोगों की दुकानें बना दी गई थीं। महारौर और नगर आयुक्त ने दुकानों का चाबी सौंपी थी। ग्रीन बेल्ट पर दुकान बनाने के दौरान ही स्वामीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था। भारी विरोध के बीच दुकानों का सुधार भी हुआ। वसुंधरा की विभिन्न आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों



वसुंधरा में बंदरों को दुकानों की चाबी देती महारौर भत्ता (फाइल फोटो) • जागरण आर्यवर्ध ने इस संबंध में मुख्यमंत्री जनसुनवाई फोरम पर शिकायत की। इसके बाद जिलाधिकारी ने दुकानों को हटाकर फिर से ग्रीन बेल्ट को रूढ़ि-भरा करने के आदेश दिए। इसके बाद से डूडा और नगर निगम एक-दूसरे को दोष देने लगे हैं। नगर निगम ने लिखा कि इस प्रकरण में निगम का कोई हाथ नहीं है। उसी पत्र पर डूडा के परियोजना अधिकारी ने लिखा कि इस प्रकरण में डूडा का कोई हाथ नहीं है। मामले में सेमक्टर को आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी इमरान खान, राजेन्द्र अवस्थी, अकांक्षा भारद्वाज, गिरीश शर्मा व अभित किशोर आदि डीएम से शिकायत करने पहुंचे।



TRUE COPY

डूंग-म लेगिंगा नकेगी कागिंगा

ट का अरुयायी कार्यालय
करेगी कागिंगा

... का अरुयायी कार्यालय
करेगी कागिंगा

श्रीन बेल्ड में वेंडिंग जोन की शिकायत सीएम से की तो निगम ने तुड़वा दिया शिलापट्ट

लोगों का कहना है कि शिलापट्ट का फोटा सबूत के तौर पर शिकायत में लगाया गया था

... का अरुयायी कार्यालय



... का अरुयायी कार्यालय
करेगी कागिंगा



ग्रीन बेल्ट बचाने के लिए आवास विकास के गेट पर दिया धरना



आवास विकास परिषद सेक्टर 16 कार्यालय के सामने धरना देते लोग

एनबीटी न्यूज, वसुंधरा

नाराजगी

कितनी दिनों से कर रहे हैं ग्रीन बेल्ट में पक्के निर्माण का विरोध

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करभेवा कर रहे

नगर निगम द्वारा आवास विकास परिषद सेक्टर-15 और 17 को ग्रीन बेल्ट पर हरिखली, पेड़ पौधों को हटाने का मामला तल पकड़ता दिख रहा है। जिसके चलते सोमवार को जर्जरियों और निवासियों ने आवास विकास परिषद सेक्टर 16 कार्यालय के सामने धरना दिया। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत की जा चुकी है। डिक्टर के माध्यम से समस्याओं को प्रकट में लाया जा

सुका है, बावजूद इसके कोई भी कार्य नहीं की जा रहा है। समाजसेवी अमित किशोर ने कहा कि आवास विकास के अधीक्षण अधिकता पूर्व में नगर निगम को एक पत्र लिखकर चेता चुके हैं।

आरटीआई द्वारा सामने आया सच

ग्रीन बेल्ट को संजखता देख लोगों ने नगर निगम को हटाने की मांग जमान की असंतोष जमाने के लिए आरटीआई लगाई। जिसके बाद असाह्य सचि का पता चला। आवास विकास की कॉलोनी नगर निगम द्वारा जल सेवा देने हेतु इस्तेमाल होती है। आवास विकास की इस जमान पर नगर निगम गोजियाना के लोग नालियाना तक ले जाते हैं। इस प्रकार से नगर निगम इतिहासीन पर अतिरिक्त कर के व्यापसीयता विविधियां चलाया जा खारे करने की प्रमद बेचना पूरा पूरा से गैरमान्य है। इससे पहले समाजसेवी अमित किशोर ने मिर्शि रामा की शिकायत पर पत्र लिख दिगान से भी नगर निगम के अधिकारी से डिक्टर पर हटा हनाइया जुमाना लगाया है। पर भी पर के प्रदर्श जा रीयों के आवास विकास परिषद के एजीएचएच इतिहासीय प्रगति बचाने को समझ दिया है। इसके बाद शिकायत जमान खला, नरक जाइया धमक मोजा, नालियाना, करवाइ



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

अ. वि. श. मी. अ. वि. म. वि.
निगम - वार्ड - 2
आवास विकास परिषद,
काम्प्लेक्स सेक्टर 16,
वसुंधरा, गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश - 201001

- (1) आवेदक का पूरा नाम: प्रवेश अरोड़ा
- (2) पिता/ पति का नाम: स्वर्गीय लक्ष्मण दास
- (3) पता: 118, सेक्टर 15, नगर निगम वार्ड 74, वसुंधरा, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201012
- (4) ईमेल : pkarorsbi@gmail.com
- (5) मोबाईल संख्या : 8826794141
- (6) मांगी गयी सूचना का विवरण:

आवास विकास परिषद वसुंधरा के हॉर्टिकल्चर विभाग की सेक्टर वाइस मेजरमेंट बुक (MB) की प्रति प्रदान करें। यदि सम्पूर्ण मेजरमेंट बुक (MB) नहीं है तो सेक्टर 15 की मेजरमेंट बुक (MB) उपलब्ध करवायें।

(7) क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बंधित है: हां / नहीं। यदि है तो उसका कारण

मैं प्रवेश अरोड़ा आवास विकास परिषद वसुंधरा का निवासी हूँ और ऊपर मांगी गयी जानकारी मेरे रोजमर्रा के जीवन से सम्बंधित है।

(8) जमा की गयी फीस का ब्यौरा: Awas Vikas Receipt -

पोस्टल ऑर्डर संख्या : 34703

पोस्टल ऑर्डर का दिनांक: 20/06/23

पोस्टल ऑर्डर की राशि: 10/-

- (9) क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का है? हां / नहीं (यदि हां तो BPL प्रमाणपत्र संलग्न करें)
- (10) संलग्न की सूची

स्थान : गाज़ियाबाद
दिनांक : 28/06/2023


आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर




20/06/23

IS 15704:2018



भारतीय मानक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय जन सूचना अधिकारी/अभिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड गाजियाबाद-02

सिविल-102, वसुधरा कॉम्प्लेक्स, गाजियाबाद.



पत्रांक- 1567

/ M-37 / 147

दिनांक- 25/07/23

संबंध में

श्री प्रवेश जलौड़ा पुत्र जगदीश जलधरा दास
निवासी-118, सेक्टर-15, नगर निगम-कांठ 74
वसुधरा, गाजियाबाद।

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने की सम्बन्ध में।

संदर्भ

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने की सम्बन्ध में अधिशासी की सम्बन्धित अर्ज आवेदन दिनांक 29.06.2023 जोकि खण्ड कार्यालय की प्राप्त हुआ है तथा रजिस्टर क्रमांक-41 पर दर्ज है, का सर्वेक्षण करने का कष्ट करें।

जान आपसे अनुरोध है कि वसुधरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-15 में खण्ड द्वारा हाटीकान्तर से सम्बन्धित कराने वाले कार्यों की माप पुरितका किसी भी कार्य विवरण में खण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर, खण्ड कार्यालय में कार्यरत बीमती प्रेरणा शर्मा, कंसिप्लर से सम्पर्क कर माप पुरितका का उपलब्धता किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रश्न अधीनों के ऑनलाईन प्राप्त कर निश्चित किए जाने एक वेब पोर्टल <https://rtionline.up.gov.in> विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिए आवेदक/प्रश्न अधीन करने हेतु आप उक्त वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन यह पत्र प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन या नीचे प्रथम अधीनीय अधिकारी के समक्ष अधीन दाखल कर सकते हैं जिसका पता निम्नवत है-

अधीनीय अधिकारी

पदनाम- अधीनीय अधिकारी/अधीनीय अभियन्ता,
गाजियाबाद पूरा,
उपग्र आवास एवं विकास परिषद,
वसुधरा, गाजियाबाद।

दूरभाष संख्या- 0120-4133277

जन सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता

पुस्तक-

/सका/

दिनांक-

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक अभियन्ता/सम्बन्धित अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-गाजियाबाद-02।
2. बीमती प्रेरणा शर्मा, कंसिप्लर, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-02, उपग्र आवास एवं विकास परिषद, वसुधरा, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि खण्ड कार्यालय द्वारा वसुधरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-15 में हाटीकान्तर से सम्बन्धित कराने वाले कार्यों की माप पुरितका का उपलब्धता आवेदक को कराना सुनिश्चित करें।

जन सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता

Pay Rs 6323=00 on 74

Particulars	Quantity	Rate	Amount	Contents of area
Field No. - 254-94	1	45.55	45.55	
Amount	1	3.85	3.85	
Waste			99.40	
8c 7323=00				
ST-2 12c				
Sc 11c 16c			51189	
Supply of 100 articles of 1m				
Schedule 3 sector 18				
Paris @ 128-00003			6323=00	
Paris for				
Rs 6323=20				
and chart 10000				
Paris and 10000				
are work in schedule				
sector 18				

work in schedule 1003 sector
 15 SFG Road Paris 026
 Station - Schedule 3.003
 Agency - SFR to 1531
 Date of work 11/94
 Date of comp 7/11/94
 Date of Mtd 10/11/94
 Name of Subordinate - Dir. Shams
 Anonickin women's home
 No-3 sector 15 SFG Road
 Station - Digging of 100 for
 plantation in schedule 3 sector
 15, Road, sectors 15 Area Road
 Paris in 1003
 on Road of 1003
 15 Area } 46.00
 1003 } 9.40
 17 Paris of 2003 } 23.00
 1513 Paris Area } 46.00
 Total 124.40
 75

27/11/94


 Assistant Engineer
 CO Ghaziabad-2
 U.P. Area Exam Vikas Parishad

Pay Register entry 184

Particulars	Details of a total measurements				Contents of area
	No.	L	B	D	
Two containers including and working of buckets of working of working of Trolley and miscellaneous		77	4	4	31112/18
Painting and whitening @ 1/200 sq ft					30000
Working on water tank and Trolley @ 500 sq ft					16500
Formwork and lab work form and excavation					46500
					31112/18

and Rs 16000 for
LAWL EXHIBITION
KENDRIYA SCHOOL NO 3

Name of work - Agriculture
women's scheme - 2 Factoris
D, O, 2 Green Belt CWR and
Hindon Cut Road G2D

Situation - School No 3
Agency - N.A. No. 1709
Date of start - 19/12/94
Date of comp - 31/12/94
Date of bill - 1/1/95

Name of subordinate - D. P. Sharma
Station - Digging of 2x14
Scale - 15 Paces A. P. Singh
Field CWR, Hindon Cut Road
D. P. Green Belt G2D

1st Reviewer - D. P. Sharma
TS - 1st Reviewer - 22-09-95

15
Greenbelt
CWR

(Handwritten signature)

Assistant Engineer
CD Ghazabad-2
U.P. Area Exam Vihar Parshad

(Handwritten signature)

Pay Rs 8000 only CD form
 Individual a/c of 1/1/91

Particulars	Quantity of actual consumption	Contents of area
Name of Supply: - Raghav Nursery village near Kanmadal station Dist. G.P.		
Date of start: 24-3-91		
Date of Completion: 24-3-91		
Date of Measurement: 24-3-91		
Name of Subordinate: - Plan no. -		
Area: 100 sq. m.		
1/1/91		
Abstract		
Supply of water in 100 sq. m. area with 100 sq. m. area of 60 Nos plants @ Rs 4000		
Rate for Rs 4000		
Chalk & Paints		
Labour		
Total		

Particulars	Quantity	Rate	Total
Name of work: - Supply of plants			
Provisioning sector: - 10 meter			
Width green belt: - 10 meter			
Station: - Ghaziabad			
Agency: - Survey of India			
Name of supply: - Raghav Nursery			
Village: - Kanmadal station Dist. G.P.			
Date of start: 25-3-91			
Date of completion: 25-3-91			
Date of measurement: 25-3-91			
Name of subordinate: - P.W. Section			
Area: - 100 sq. m.			
Supply of plants in 100 sq. m. area			
Width green belt: - 10 meter			
250 plants with 100 sq. m. area	250	64.00	16000
Chalk & Paints	100	25.00	2500
Botul Brush	100	10.00	1000
Total			19500
Abstract of Cost			
Supply of plants in 100 sq. m. area			
15			

रजिस्ट्रार
 Assistant Engineer
 CD Ghaziabad-2
 U.P. Area Evam Vikas Parishad

Pay Rs 400 - only (Rs four hundred) only 22

Particulars	Details of actual measurement		Notes
	No.	L. W. D.	
Abstract of Cost			
Supply of plants in sector 15 scheme	43628		
60 NOS Villavilla @ 1200			24000
1000 Plants @ 200			20000
Total Rs			44000
Passed for Rs 44000 and			31-3-91
Chem. to be used			
Arboreal Cult. ...			
2 ...			
Name of Subordinate: ...			
Supply of rough Villavilla plants in sector 15 green belt (approx. wide) Agency & sanction of Engr. Dept. Station: Chazalad.			
Name of Supplier: Raghav Nurbay village Kankar Road, Ghazalad.			

2-4-91			
2-4-91			
2-4-91			
10 Khanna			
Supply of rough Villavilla plants in sector 15 green belt			
approx. wide 1200 - 60 NOS			
Pay Rs 400 - only (Rs four hundred) only 22			
2-4-91			
Abstract of Cost			
Supply of rough Villavilla plants in green belt (approx. wide) Sector - 15 scheme	43628		
60 NOS Villavilla @ 1200			40000
Passed for Rs 40000 and			31-3-91
Chem. to be used			
Arboreal Cult. ...			
3 ...			
Name of Subordinate: ...			
Supply of rough Villavilla plants in green belt (approx. wide) Sector - 15 scheme			
Agency & sanction of Engr. Dept. Station: Chazalad.			

2004/11/11

Assistant Engineer
 CD Ghazalad-2
 U.P. Area Evam Vikas Parishad

Pay No 1400 - 00 Only (1000) under
 and found (28) only

L.S. Particulars	Quantity			Rate	Amount
	No.	U.	D.		
Line A.B.	30.00	9.00			270.00
Line B.C.	30.00	12.00			360.00
Line C.D.	30.00	9.00			270.00
Line A.D.	30.00	12.00			360.00
Area of Parallelogram	42.00	39.00			1638.00
					M.G. Takamang 2.4.91

Abstract of Cost
 AS per M.R. No. 1217 Amount
 Leveling and dressing work in
 scheme No. 2 Sector 15
 1638.00 M² Earthwork @ 1638.00
 per M²
 1638.00
 1474.20
 1400.00
 74.20
 2.4.91

Name of work - Supply of Vengal
 villa plants in green belt (matru wide)
 sector - 15 scheme No. 2 Ghaziabad
 Station, Ghaziabad.
 Agency & Section of existing Attached
 Name of supplier - Raghav Murthy
 Village Kar Kar Model Shahibabad
 Ghaziabad.
 Date of start: 3-4-91
 Date of completion: 15-4-91
 Date of measurement: 3-4-91
 Name of Subordinate: D.K. Sharma
 Supply of Vengal villa plants in
 4 metre wide green belt sector
 15 Ghaziabad
 Vengal villa rate - - - 50 Nos
 M.G. Takamang
 2.4.91

Abstract of Cost
 Supply of Vengal villa plants in
 green belt sector 15 Ghaziabad
 29.30

सत्यमेव जयते


 Assistant Engineer
 CD Ghaziabad-2
 U.P. Area Evam Vikas Parishad

Pay Rs 400 - only CLs four hundred only

Particulars	Quantity of actual work done	Contents of area
50 Nos vauzen villia khandi in		400 sq
passed for Rs 400 - only		5-4-91
char. to Vauzen and Arbon		
Collins with in scheme No 3		
sector, 15 green belt		AB
Name of work - Supply of vauzen villia khandi in scheme No 3 sector 15, 4 metre wide green belt area.		
situation - char. to Vauzen and Arbon Agency - Junction Attached of an Eng.		
Name of supply - Raghavpur		
village of Kanyar model shahibabad Ghaziabad		
Date of start - 5-4-91		
Date of completion - 5-4-91		
Name of Subordinate - D.A. S. Chandra		

Supply of vauzen villia khandi in green belt (4 metre wide) sector - 5 shahibabad vauzen villia khandi - 40 Nos
 Pay Rs 320 - only
 CL Three hundred only
 Date 5-4-91
 AB

Supply of vauzen villia khandi in green belt sector 15 char. to Vauzen and Arbon
 40 Nos vauzen villia khandi - 320 sq
 Passed for Rs 320 - only
 char. to Vauzen and Arbon Collins with in scheme No 3 sector 15
 Date 5-11-91
 AB

Name of work - Supply of vauzen villia khandi and B.C. Powder in scheme No 3 sector 15 green belt and Per. on the road

असुवि यमपुर

Assistant Engineer
 CD Ghaziabad-2
 U.P. Area Evam Vikas Parishad

Particulars	Date of actual measurements			Contexts of use
	No.	L.	R.	

Abstract
 Supply of blank muscines
 general of section 15 Belu
 and Cell Stone
 20 Nos Haveli @ 200/-
 54 Nos Chanda @ 100/-
 432/-
 632/-

Passed by Rs 6300
 and Chaitan D. P. Puri
 and Agricultural
 Mr. Schenker 15
 Jockey 15 623

Manufacture supply of
 blank muscines
 West Haveli 620
 Chanda = Schenker 620

Hand supply of
 Haveli 623
 Bhatnagar 623
 Bhatnagar 623
 Bhatnagar 623
 Hand supply of blank muscines
 Chanda 620
 Haveli 100/-
 2. Bhatnagar 623
 3. Haveli 623
 22115

Key to supply of
 Haveli 623
 Bhatnagar 623

Supply of blank muscines
 from - Schenker 623
 15 Nos yellow 623
 3 Nos white 623
 4 Nos Ashoka 623
 450/-
 360/-
 600/-

2009/12/27

Assistant Engineer
 CD Ghaziabad-2
 U.P. Area Evam Vikas Parishad

178

Particulars	Details of actual measurements			Contents of item
	No.	L.	B. D.	
Passed for supply of Chalcopyrite, Vais and Mosekalbore in sec No 3 Sector 16 Const House 2275				
				16/1/93 AEE
Name of work supply of plant in scheme no 3 Sector 16 at Bahichad				
Situation scheme no 3 CDA				
Agency description Head of AEE				
Name of supply District Vardaha Vardaha				
Date start 19/1/93				
Date end 9/7/93				
Name of Subordinate supply of 1000 7100				
Quantity 1000				
				1050000
				150000
				917193
				District
supply of plant for AEE Bahichad District @ 25				10000
				10000
Passed for supply and cost 10000 10000 Vais and Ahonically 6000 in sec no 3 CDA				917193
				16/1/93 AEE
Name of work supply of plants in scheme no 3 Sector 16 Road and Vais 2275				
Situation scheme no 3 CDA				
Agency description Head of AEE				

राज्यीय योजना

Assistant Engineer
CD Ghaziabad-2
U.P. Avaz Evam Vikas Panthari

186

Particulars	Detail of actual measurements			Consent of work
	No.	L.	B.	
Name of contractor				
Supply of plants in Sector 15				
15/10/83				
NECM	10x50	-	-	50 Nos
Aushad	10x50	-	-	50 Nos
Ashok Deshwal	10x5	-	-	5 Nos
				105 Nos
				18/10/83

Abstract of cost

① 50 Nos NECM @ 8/-	400/-
② 50 Nos Aushad @ 8/-	400/-
③ 5 Nos Ashok Deshwal @ 20/-	100/-
	900.00
Passes for Rs 900/-	
and Lab LD in 1/1	77.50
Passes and Materials	1012.50
working hours 3000	
Chats factor 15	184.00

Chats factor 15	776.00
	900.00

Name of contractor: Supply of plants
 in Sector 15
 Situation: Sector 15
 Agency: Sector 15
 Name of supply: plants
 Date of work: 15/10/83
 Date of comp: 19/10/83
 Date of m/s: 15/10/83
 Name of contractor: Ashok Deshwal

NECM	10x5	-	-	15 Nos
				18/10/83

Abstract of cost

Supply of plants in Sector 15	
15 Nos NECM @ 8/-	120/-
Passes for Rs 120/-	
and Lab LD in 1/1	10.00
Chats factor 15	180.00

21/10/83

Assistant Engineer
 CD Ghaziabad-2
 U.P. Area Evam Vikas Parishad

188

Particulars	Details of actual measurements			Contents of area
	No.	L.	B.	
Name of work	Supply of plants			15 C20
Scheme No.	Sector - 15			C20
Station	Sector 15			
Agency	Sector 15			
Name of supplier	Bansari			
Value	C. 20			
Date of start	30/11/93			
Date of comp.	1/12/93			
Date of m/s	3/12/93			
Name of subord. in charge	S. K. Singh			
Supply of plants				
(1) Cusial (11x6)	-			6715 (2011)
(2) Bougainvillea (11x2)	-			
(3) Sarani (11x1)	-			1715
	Total			10425
	MOTaken by			
				17/12
				30/11/93

Supply of plants in scheme No 3 Sector 15 C20

(1) Cusial 6715 @ 8	5367
(2) Bougainvillea 2011 @ 6	1207
(3) Sarani 1715 @ 8	1367
	7920
Bansari 1715 @ 8 and class 10/11	1715
Parcel and Aboni Cultiv. agency	2011
Sector 15 Parcel	

20/11/93

Assistant Engineer
CD Ghazabad-2
U.P. Avam Vikas Parishad

Name of work: Supply of plants in scheme No. 3 Sector 15 Parcel

Station: Sector 15 C20

Agency: Sector 15

Name of supplier: Bansari

Value: C. 20

Date of start: 1/12/93

Date of comp.: 1/12/93

Date of m/s: 1/12/93

134

Particulars	Details of actual measurements			Contents of area
	No.	L	B	
Namof work	1			Supply of 1000
Indeent	15			Rocks Sec
Autile				Scheme 10
Agency				Supply of 1000
Home of				Supply of 1000
Date of start				28/11/17
Date of comp				28/11/17
Date of M/s				28/11/17
Name of				Supply of 1000
Agency				Supply of 1000
Day B				Supply of 1000
Abstract				Supply of 1000
Annual				Supply of 1000

① 475 and
 Clerk of work
 Part of work
 Call of work
 M/s of work
 Section 15 (a) →

Name of work supply of last
 in Scheme of 3 sections
 3 members of Cell of 1000
 Situation of Scheme
 Agency Scheme of 1000

Name of supply of 1000
 Date of start = 28/11/17
 Date of comp = 28/11/17
 Date of M/s = 28/11/17
 Name of work of 1000

उपस्थित यमिता


 Assistant Engineer
 CD Ghaziabad-2
 U.P. Avasth Exam Vivas Parishad

196

Particulars	Details of actual measurements			Quantity of work
	No.	L	H	
Supply of Chain in area width of sector 15 behind store of CD-11				
1) Bongaon 10 x 46 -				46 Hg
2) Red kam 1 x 1 x 46 -				46 Hg
3) Chain 1 x 1 x 32 -				32 Hg
				124 Hg
				124 Hg
				28/11/83
At 3rd of 2007				
1) 46 No. Bongaon with the				368 Hg
2) 46 No. Red kam @ 8				368 Hg
3) Chain 1 x 1 x 32 @ 8				736 Hg
				1472 Hg
Passal for 1000 and 1000 Rony and other color work 1000				1000

In sector 5 Scheme 10-5 CD-11				
Citation - Scheme 10-5 CD-11				
Agency - Sewerage Deptt. G.P.O.				
Name of supply - New Sewerage				
Location - Sector 10-5 CD-11				
Date of start 22/11/84				
Date of comp 27/11/84				
Date of bill 22/11/84				
Name of sub contractor - Mr. Sharma				
Supply of 10mm SFS chain - 3				
Sector - 10-5 SFS chain				
1) Chain 10 x 10 -				10 Hg
2) 10mm SFS chain -				4 Hg
3) 10mm SFS chain -				6 Hg
4) 10mm SFS chain -				3 Hg
				23 Hg
				23 Hg
				22/11/84

रामेश्वर शर्मा

Assistant Engineer
CD Ghaziabad-2
U.P. Area Evam Vikas Parishad

142-20-20-14		Details of Actual	Contents
No.	Particulars	of	of
		sq. ft.	sq. ft.
	121.0173	15489.28	
	15489.28	5760	
	15489.28	24/5/86	
	Rs 7392	15489.28	
	15489.28	15489.00	
	15489.28	310.00	
	15489.28	310.00	
	15489.28	15142.00	

[See Rule 15 Appendix 52 Building and Road Manual of Order, 3rd edition]

Certified that this book No. _____ has been checked and found that—

- (a) No page is torn out and missing and blank pages have not been left uncancelled.
- (b) Corrections are properly made and initialed by responsible person.
- (c) Original pencil entries are not inked over and the entries on the column of 'entries' or 'area' are made only ink.
- (d) The number & date of each voucher, in which the quantities are entered for payment are noted.
- (e) The entries are crossed off.
- (f) Each set of measurements is signed by the officer by whom they were actually made.
- (g) The index is completed.
- (h) In the case of cancelled measurement the reason of cancellation has been given and the measurement signed by the person who made the measurement and by the sub-Divisional officer.
- (i) Each set of measurement 'bears' in addition to the measurements, the signature of the sub-Divisional clerk who checked the calculations and the signature of the sub-Divisional officer who passed the measurements or paid the bill.

Dated _____ Signature _____
Accountant
Record

Dated _____ Signature _____
Executive Engineer

सत्यमेव जयते

Assistant Engineer
CD Ghazipur-2
U.P. Area Exam Vihar Patna

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी, डूडा
नगर निगम गाज़ियाबाद,
नवयुग मार्केट, गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश - 201001

- (1) आवेदक का पूरा नाम: गिरीश कुमार शर्मा
(2) पिता/ पति का नाम: श्री राम जी लाल शर्मा
(3) पता: बी 102, सेक्टर 17, नगर निगम वार्ड 74, वसुंधरा, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201012
(4) ईमेल : gireesh.sharma@gmail.com
(5) मोबाईल संख्या : 8800-376-503

(6) मांगी गयी सूचना का विवरण:

जिला नगरीय विकास अधिकरण (डूडा) - पत्रांक - 2354 /202020-21 / 5/12/2020 एवं टी वी सी सदस्यों एवं नगराणुक्त का आदेश दिनांक 04/12/2020 का सन्दर्भ ले जो कि संलग्न है. इसमें संस्था बलदेव फेब्रिकेशन, पता - 437 रोहिली तोला, पुराना शहर बरेली को वेंडिंग जोन बनाने के लिए अधिकृत किया गया है. क्या उपरोक्त संस्था एवं बलदेव फेब्रिकेशन, 153, सेक्टर 11, वसुंधरा, गाज़ियाबाद एक ही संस्था है?

इस पत्र में उल्लेखित बलदेव फेब्रिकेशन, पता - 437 रोहिली तोला, पुराना शहर बरेली के साथ किये गए अनुबंध/शर्तों की प्रति उपलब्ध करावें।

(7) क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बंधित है: हां / नहीं | यदि है तो उसका कारण

मैं गिरीश कुमार शर्मा नगर निगम वार्ड 74 वसुंधरा का निवासी हूँ और मैं नगर निगम का करदाता हूँ और वार्ड 74 की समस्त सुविधाओं का उपभोग करता हूँ. ऊपर मांगी गयी जानकारी उन समस्त सेवाओं के लिए है जो मेरे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं.

(8) जमा की गयी फीस का ब्यौरा :

पोस्टल आर्डर संख्या : 986 789482

पोस्टल आर्डर का दिनांक: 02/06/23

पोस्टल आर्डर की राशि: रुपये 100- मात्र

(9) क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का है? नहीं

(10) संलग्नों की सूची :

स्थान : गाज़ियाबाद

दिनांक : 02/06/23



(गिरीश कुमार शर्मा)
आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), गाजियाबाद । 70

पत्रांक 5609 / डूडा-जनसूचना / 2023

दिनांक 22-7-23

गिरिश कुमार शर्मा
पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा
पता-बी 102 सी 17 नगर निगम
वार्ड नं० 74 बसुन्धरा गाजियाबाद।
201012

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नवत् है:-

अवगत कराना है कि अभिलेखों के जांचोपरांत पत्र संख्या 2354 दिनांक 05.12.2020 तत्कालीन परियोजना अधिकारी डूडा गाजियाबाद द्वारा बलदेव फेब्रीकेशन 437 रोहिली ताला पुराना शहर बरेली को वैडिंग जॉन मॉडल के रूप में विकसित किये जाने से सम्बन्धित पत्र जारी किया गया है। बलदेव फेब्रीकेशन के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

शहर निगम प्रबन्धक
डूडा गाजियाबाद

परियोजना अधिकारी
डूडा गाजियाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 215877

अनुबन्ध

प्रथम पक्ष—

मै0 बलदेव फौजरीकेशन 437, रोहली टोला, पुराना शहर बरेली
(नगर निगम गाजियाबाद क्षेत्रान्तगत स्थितो पर वेंडिंग जॉन बनाये जाने हेतु)

द्वितीय पक्ष—

परियोजना अधिकारी

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) गाजियाबाद

प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष नीचे दी गयी शर्तों के पाबन्द होंगे।

नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक डूडा गाजियाबाद की स्वीकृति के क्रम में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) गाजियाबाद/नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 2354/डूडा/2020-21 दिनांक 05/12/2020 से मै0 बलदेव फौजरीकेशन 437, रोहली टोला, पुराना शहर बरेली को नगर निगम गाजियाबाद क्षेत्रान्तगत मॉडल वेंडिंग जॉन विकसित किये जाने हेतु संस्था नामित करते हुए कार्यादेश जारी किया है।

For BALDEV FABRICATION

Baldev
Partner

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 215878

नगर निगम गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में नियमानुसार निम्नलिखित वेडिंग जोन मॉडल के रूप में विकसित किये जाने हैं:-

1. कन्या वैदिक गर्ल्स इण्टर कॉलेज में - 60 क्योस्क।
2. कम्प्यूटर मार्केट के पीछे नवयुग मार्केट - 43 क्योस्क।
3. न्यू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन फ्लाइंग ओवर के नीचे - 25 क्योस्क।
4. वसुन्धरा सेक्टर -15 और 17 में - 65 क्योस्क।

नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार प्रस्तावित वेडिंग जोन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. उपरोक्त वेडिंग जोन को विकसित करने हेतु स्ट्रीट बेंडर एवं संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। इसमें नगर निगम/खूडा द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।
2. नगर निगम गाजियाबाद द्वारा सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु मासिक किराया वसूलेगी साथ ही नगर निगम/खूडा द्वारा समाप्त-समय पर उक्त स्थल की जांच की जायेगी।

For BALDEV FABRICATION

Baldev
Partner

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 215879

3. पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र वितरण कैंप के माध्यम से किये जायेंगे। परिचय वितरण के दौरान ये सुनिश्चित करें कि विक्रेता अपना आधार कार्ड साथ में लायें। साथ ही नगर निगम द्वारा परिचय पत्र वितरण उपरान्त चिन्हित स्थल के वेंडरों को प्रमाण पत्र वितरित किये जायेंगे।
4. संस्था द्वारा विकसित बेंडिंग जोन में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जायेगी:-
- ऑक्सीजन एवं नर्सरी की व्यवस्था।
 - बैठने के लिये जगह अनुसार बेंच की व्यवस्था।
 - टी पहिया वाहन की पार्किंग।
 - पीने के पानी के लिये वाटर कूलर।
5. आग बुझाने का उपकरण (Fire Extinguisher) प्रत्येक दुकान को लिये
6. कूड़े एवं सूखे कूड़े के लिये कूड़ेदान की व्यवस्था।
7. सुरक्षा के लिये सी0सी0टी0वी0 कमरे की व्यवस्था

For BALDEV FABRICATION

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 215880

8. पुरुष व महिला शौचालय की व्यवस्था (जहां पर उपलब्ध नहीं है)।
9. प्रत्येक वेडिंग जोन में साईन बोर्ड की व्यवस्था।
10. प्रत्येक वेडिंग जोन में सुरक्षा गार्ड हेतु कक्ष की व्यवस्था।
11. प्रत्येक दुकान के लिये ग्लो साईन बोर्ड।
12. व्यापारियों के साथ मिलकर सफाई व्यवस्था लागू करना।
13. कम्पनी द्वारा बनायी गयी दुकानों में कोई टूट फूट होने पर 6 माह तक निःशुल्क मरम्मत की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी।
14. संस्था द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा दिये गये निर्देशों/शर्तों का पालन करना होगा।

For BUREAU OF FABRICATION

[Signature]

Partner

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH • संस्था द्वारा वेंडर्स से सोलर लाइट फिटिंग की लागत अतिरिक्त होगी। 39AA 215881

- संस्था द्वारा वेंडर्स से दुकानों की बुकिंग करते समय कुल राशि का 40 प्रतिशत अग्रिम देय होगा एवं शेष राशि का भुगतान डिलीवरी के समय लिया जायेगा।
 - संस्था द्वारा वेंडर्स से बुकिंग के 40 दिनों बाद दुकानों की डिलीवरी दी जायेगी।
 - उपलब्ध स्थान के अनुसार दुकानों का आकार और लागत परिवर्तनशील होगी।
5. नगर निगम गाजियाबाद द्वारा वेडिंग जॉन विकसित करने से पूर्व संस्था/कम्पनी को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जायेगी:-
- इन्टरलाकिंग टाईल्स की व्यवस्था।
 - पानी की निकासी की व्यवस्था।
 - पैसे के पानी की सुविधा।
 - स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था।
 - पंजीकृत वेंडर्स की सूची एवं नगर निगम एवं वेंडर्स पंजीकृत संस्था।
 - रजिस्ट्रार वेडिंग को अतिक्रमण मुक्त करवाने की व्यवस्था।

For BALDEV FABRICATION

Partner

क्यास्क का विवरण एवं मूल्य निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	विवरण	संख्या	मूल्य	कुल योग
1	6' * 8' की एक शटर की दुकान लकड़ी की अलमारी सहित, खूबसूरत खुलने वाली छतरी व छत में स्टोर की सुविधा, एलईडी लाईट, पंखा फिटिंग एवं तीन लेयर की दीवार एवं चार लेयर की छत	1	1,15,000.00	
	+18प्रतिशत जीएसटी		19,800.00	
	कुल योग			1,29,800.00

क्र०सं०	विवरण	संख्या	मूल्य	कुल योग
1	6' * 8' की एक शटर की दुकान लकड़ी की अलमारी व खुलने वाली छतरी, एक एलईडी लाईट, व पंखा फिटिंग एवं तीन लेयर की दीवार एवं चार लेयर की छत	1	95,000.00	
	+18प्रतिशत जीएसटी		17,100.00	
	कुल योग			1,12,100.00

7. किसी भी विवाद की स्थिति में सीपीओ, एनयूएलएम डूडा/नगर आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम माना जायेगा तथा वाद की स्थिति में वाद क्षेत्र गाजियाबाद होगा।

8. अनुबन्ध पर हस्ताक्षर के उपरान्त दोनों पक्ष अनुबन्ध की शर्तों में बाध्य होंगे।

For BALDEV FABRICATION

हस्ताक्षर

Partner

(प्रथम पक्ष)

नाम/पदनाम/मोहर सहित

हस्ताक्षर गवाह-1

(PRIYANK SAXENA)

882-6691017

हस्ताक्षर गवाह-2

हस्ताक्षर

(द्वितीय पक्ष)

नाम/पदनाम/मोहर सहित

हस्ताक्षर गवाह-1

हस्ताक्षर गवाह-2

Document - 7

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी, ~~...~~
नगर निगम गाज़ियाबाद,
नवयुग मार्केट, गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश - 201001

- (1) आवेदक का पूरा नाम: गिरीश कुमार शर्मा
- (2) पिता/ पति का नाम: श्री राम जी लाल शर्मा
- (3) पता: बी 102, सेक्टर 17, नगर निगम वार्ड 74, वसुंधरा, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201012
- (4) ईमेल : gireesh.sharma@gmail.com
- (5) मोबाईल संख्या : 8800-376-503

(6) मांगी गयी सूचना का विवरण:

महोदय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण वाद OA संख्या 287/2022 का सन्दर्भ ले एवं आपके अधिवक्ता द्वारा दाखिल Annexure 3, List of Vendors, 238 - 239 का सन्दर्भ ले। इसमें आपने 54 वेंडर्स की लिस्ट जारी करी है जो कि संलग्न है। महोदय लिस्ट में दिए गए 54 पथविक्रेताओं का पूरा नाम, पिता का नाम, उनके द्वारा दिए गए आधार कार्ड में पता, एवं शहरी पथ विक्रेता परिचय पत्र का क्रमांक एवं परिचय पत्र की छाया प्रति प्रदान करें। इस हेतु जो भी शुल्क लिया जाएगा, उसे जमा करने की सूचना भी दें, ताकि मैं शुल्क जमा करा सकूँ।

(7) क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बंधित है: हां / नहीं | यदि है तो उसका कारण

मैं गिरीश कुमार शर्मा नगर निगम वार्ड 74 वसुंधरा का निवासी हूँ और मैं नगर निगम का करदाता हूँ और वार्ड 74 की समस्त सुविधाओं का उपभोग करता हूँ। ऊपर मांगी गयी जानकारी उन समस्त सेवाओं के लिए है जो मेरे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं। मैं उपरोक्त वाद में वादी हूँ।

(8) जमा की गयी फीस का ब्यौरा :

पोस्टल आर्डर संख्या : 986 789488

पोस्टल आर्डर का दिनांक : 02/06/23

पोस्टल आर्डर की राशि: रुपये 10/- मात्र

(9) क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का है? नहीं

(10) संलग्न की सूची : Annexure K3

स्थान : गाज़ियाबाद
दिनांक : 02/06/23



(गिरीश कुमार शर्मा)
आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,
नगर निगम गाज़ियाबाद,
नवपुन मार्केट, गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश - 2010001

दिनांक: 27 जुलाई 2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत समयानुसार सूचना प्रदान ना करने पर आर्थिक अनुतोष
महोदय,

संलग्नक का सन्दर्भ ले. मेरे द्वारा आपके विभाग से दिनांक 02 जून 2023 को उपरोक्त अधिनियम के तहत
सूचना मांगी गयी थी. इसके साथ 50 रूपये का पोस्टल आर्डर भी मैंने लगाया था. आपके विभाग ने उपरोक्त
सूचना मुझे 30 दिन के भीतर मुझे प्रदान नहीं करी है और मेरे निवास पर कोई पत्र भी नहीं भेजा है.

अतः, अधिनियम की धारा 2005 के सेक्शन 20 के तहत दंड के प्रावधानुसार आप मुझे प्रतिदिन रूपये 250/-
का आर्थिक दंड सूचना देने की तिथि तक भुगतान करने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

मिनीश कुमार शर्मा
पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा
बी 102, सेक्टर 17, नगर निगम वार्ड 74,
गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश
फ़ोन: 8800376503

प्रति:

१. प्रथम अपील अधिकारी,
नगर निगम गाज़ियाबाद,
गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश



Document - 8

RTI का जवाब समय पर नहीं मिला, मांगा पांच हजार जुर्माना

■ वरिष्ठ संवाददाता, टीएचए : वसुन्धरा निवासी एक आरटीआई एक्टिविस्ट को आरटीआई का जवाब दो महीने में भी नहीं मिला तो उन्होंने नगर निगम से 5000 का जुर्माना मांगा है। जवाब तय समय सीमा के बाद भी नहीं मिलने पर आरटीआई कार्यकर्ता गिरीश शर्मा ने जनसूचना अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद से हर्जाने की मांग की है। जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत आरटीआई आवेदक को समय-सीमा में जवाब नहीं देने पर, 250/- रुपये प्रतिदिन का हर्जाना पाने का हक है। गिरीश शर्मा ने बताया कि उन्होंने दो जून को आवेदन किया था, जिसमें दुकानदारों को सड़क किनारे आवंटन को लेकर कुछ सवाल किए गए थे। इसके जवाब का इंतजार करते-करते दो महीने बीत चुके हैं। इसलिए मजबूरी में हर्जाना मांगा गया है।

